

12/7/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन, तलवाना, पेश हो। पत्रावली वास्तु तलवी दिनांक 23/08/22 को पेश हो

पत्रावली

Edulity  
Goswami Adv.

12/8/22 वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षाकारन का लोक अदालत की आवना से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण को आज पेशी में लिया जाकर इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTI नोटिस किया गया है। लिहाजा वादी का वादपत्र इसी स्तर पर नोटिस करने पर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण के संलग्न प्रकरण संख्या नं०/2019 अनवान परणीत सिंह बनाम सैन्दीप सिंह में जारी स्थायी निवेधाना दिनांक 12/01/2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली किंग फेसलुगुमार होकर नम्बर कम होकर वाचिल दफतर हो



उपस्थित अधिवक्ता (राजस्व)  
श्री करणपुर